



बिहार विधान सभा

कार्य सूची

षोडश विधान सभा

सप्तम् सत्र

शुक्रवार, तिथि

25 अगस्त, 2017 ई०

03 भाद्र, 1939 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

1. अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. सर्वश्री समीर कुमार महासेठ, गुलाब यादव एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [स्वास्थ्य विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
3. सर्वश्री जिवेश कुमार, प्रकाश राय एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [स्वास्थ्य विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।

7. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा-21 (5) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-37) के तहत निर्गत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-261, 262, 269, 270, दिनांक-07.10.2016 / एस०ओ०-285, 286, दिनांक-11.11.2016 / एस०ओ०-307, 308, दिनांक-16.12.2016 एवं एस०ओ०-32, 33 दिनांक-31.03.2017 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
8. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत निर्गत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-275, 276, 277 एवं 278, दिनांक-07.10.2016 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
9. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा-10 (4) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-38) के तहत निर्गत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-271, 272, दिनांक-07.10.2016 तथा एस०ओ०-287, 288, दिनांक-11.11.2016 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
10. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20(2) के तहत निर्गत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-267 तथा 268, दिनांक-07.10.2016 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
11. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत निर्गत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-265, तथा 266, दिनांक-07.10.2016 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
12. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत निर्गत् अधिसूचना संख्या - एस०ओ०-103, 104, दिनांक-29.06.2017 / एस०ओ०-115, 116, 117, 118, 119 एवं 120, दिनांक-19.07.2017 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
13. श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115 (2) के तहत "बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2017" की एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
14. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा "बिहार गव्य संवर्ग भर्ती नियमावली, 2013" एवं "बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
15. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।
16. याचिकाओं का उपस्थापन ।

मध्याह्न-विराम (12.30 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

गैर सरकारी संकल्प

17. सार्वजनिक हित के विषयों पर संकल्प ।

[संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा चुकी है ।]

18. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।
19. अध्यक्ष का समापण भाषण ।

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

22/11/2017

7487-7503

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-10/2017-

/वि०स०, पटना, दिनांक- 24 अगस्त, 2017 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग/ विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/9/24/8117

(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

7487-7503

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-10/2017-

/वि०स०, पटना, दिनांक- 24 अगस्त, 2017 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

21/9/24/8117

(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

7487-7503

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-10/2017-

/वि०स०, पटना, दिनांक- 24 अगस्त, 2017 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के उप सचिवगण एवं अवर सचिवगण / अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/9/24/8117

(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

24.8.17